संख्या:298/2022/1012/35-4-2022/001-35-4099/263/2021

प्रेषक,

जयवीर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 30 अगस्त,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-कानपुर नगर की विधान सभा क्षेत्र-कल्याणपुर में शासनादेश संख्या-343/2021/2192/35-4-2021, दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 11 कार्यों की रू0 294.85 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 163.57 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक: 589/त्व0आ0वि0यो0/वि0स0-कल्यानपुर/2021-22, दिनांक 27 जुलाई, 2022 द्वारा उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत 11 कार्यों में से 06 कार्यों की लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत से अधिक का उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत 06 कार्यों की लागत रू. 163.46 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि रू. 90.00 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष देय रू. 73.46 लाख (रूपये तिहत्तर लाख छियालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1	कल्यानपुर विकास नगर में म0नं0-244 से म0नं0-254 तक सड़क, नाली एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य (इण्टरलॉकिंग)	20.24	15.00	5.24
2	कल्यानपुर विधान सभा के अन्तर्गत आने वाले आवास विकास सं0-3 में एम0आई0जी0 2238 से एम0आई0जी0 2221 से दुर्गा पूजा पार्क होते हुए चंदेल मार्केट तक दोनों तरफ रोड एवं नाली का निर्माण कार्य	36.63	15.00	21.63
3	कल्यानपुर विधान सभा के विनायकपुर में एल्मिको हाउसिंग सोसायटी में श्री डी0एन0 सिंह के मकान से श्री सीताराम चौरसिया के मकान होकर तिवारी जी के मकान से मुडेरी देवी मंदिर तक इण्टरलॉकिंग	31.42	15.00	16.42
4	कल्यानपुर विधान सभा के विनायकपुर में एल्मिको हाउसिंग सोसायटी में श्री बी0एन0दीक्षित के मकान से मुडेरी देवी मंदिर तक एवं रंजीत सिंह के मकान से श्री धर्मवीर सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग	26.77	15.00	11.77
5	कल्यानपुर विधान सभा के नानकारी में श्री आर0एन0यादव के मकान से पद्मश्री प्रो0 हरिश्चन्द्र वर्मा जी के मकान से आश्रम तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य(इण्टरलॉकिंग)	18.85	15.00	3.85
6	कल्यानपुर विधान सभा के पनकी कटरा में भारत बिल्डर्स से श्री राजन शुक्ला के मकान होकर मंदिर तक रोड एवं नाली का निर्माण कार्य	29.55	15.00	14.55
	योग:	**163.46**	**90.00**	**73.46**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 73,46,000 लाख (रूपये तिहत्तर लाख छियालिस हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370304 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या:298/2022/1012(1)/35-4-2022/001-35-4099/263/2021, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in